5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES CANCELLED

(88)

न्यायालय श्री अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, जबलपुर

पुनरीक्षण क्रमांक /१६
निगरानी– 6411/2018/जबलपुर/भू.रा.

(751)

(१) अनिलकुमार पिता स्व० गेंदलाल साहू
(२) दिलीप पिता स्व० गेंदलाल साहू
दोनों साकिन काल भैरव चौक, सिहोरा
तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

---पुनरीक्षणकर्ता गण

आलोक ... रीडर (राजस्व मण्डल)
22 NOV 2018
प्र-अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरुद्ध

विक्रांत उर्फ पप्पू पिता मदनमोहन साहू
साकिन कटरा मुहल्ला सिहोरा तह० सिहोरा
जिला जबलपुर । --- गैरपुनरीक्षणकर्ता

धारा ५०(२) म.प्र० भू० राजस्व संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण

पुनरीक्षणकर्ता गण विचारण न्यायालय में अनावेदक व निम्न अपील न्यायालयों में अपीलार्थी है । पुनरीक्षण कर्ता गणों द्वारा न्यायालय श्री अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के प्रकरण क्र० १२६६/ अपील / २०१६-२०१७ में पारित आदेश दिनांक २८/६/२०१८ के विरुद्ध यह पुनरीक्षण समय सीमा में पेश किया जा रहा है जो कि मान० न्यायालय की अधिकारिता में ग्रहणीय एवं श्रवणीय है ।

पुनरीक्षण के तथ्य

---

(१) यह कि ग्राम दर्शनी प०ह०नं० ६४ तहसील मझौली जिला जबलपुर स्थित भूमि ख०नं० ११५६ रकबा १०-६२ हे० भूमि पुनरीक्षणकर्ता गणों के पिता गेंदलाल वल्द छिदामी के नाम भू राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामित्व के रूप में दर्ज थी । गेंदलाल की मृत्यु दिनांक २६-२-१९९९ को हो गयी है । उनकी मृत्यु के बाद विधिक वारसानों पुनरीक्षणकर्ता गण एवं गेंदलाल की पत्नी इन्द्रानीबाई का नाम भू राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज हुआ था ।

(२) यह कि गैर पुनरीक्षणकर्ता विक्रांत द्वारा विचारण न्यायालय श्री

-2-

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–छिन्दवाड़ा / भू0रा0 / 2018 / [illegible] 6411

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 494 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–8–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (केंप जबलपुर) में दिनांक 27–11–2018 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख पर विचार किया गया। नायव तहसीलदार तहसील मझौली के नामान्तरण आदेश दिनांक 12–5–10 के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सिहारो को हुई है एंव अनुविभागीय अधिकारी सिहारो व्दारा पारित आदेश दिनांक 12–8–18 के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (नवीन सॅशोधित संहिता वर्ष 2018 प्रभावी दिनांक 25–9–2018) की धारा 50 में निम्नवत् संशोधन हुआ है :– धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ; – ग्रहण नहीं किया जायेगा। वर्ष 2018 में उपरोक्तानुसार किये गये सॅशोधन अनुसार प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	